



राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(35)एम.ई./ग्रुप-1/89

जयपुर, दिनांक: 15/7/2021

आदेश

डॉ. रमेश चन्द्र सुनार, वरिष्ठ आचार्य, निश्चेतन मेडिकल कॉलेज, जयपुर की राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 01.05.2021 को मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप डॉ. सुनार को दिनांक 01.05.2021 (मध्याह्न पश्चात्) से राज्य सेवा से पृथक किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश चन्द्र सुनार, वरिष्ठ आचार्य, निश्चेतन मेडिकल कॉलेज, जयपुर के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियाँ विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।

आज्ञा से,

LI
15/7/2021
(सुनील शर्मा)

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर को उनके पत्रांक 11017/एफ / एमसी/ईजी/2021 दिनांक 29.05.2020 के संदर्भ में।
6. परिजन डॉ. रमेश चन्द्र सुनार, वरिष्ठ आचार्य, निश्चेतन द्वारा पीएमसी जयपुर।
7. ए.सी.पी., चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

15/7/2021
(अशोक सानी)

शासन उप सचिव